भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 260

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।)

कर छूट

260. श्री लल्लू सिंह :
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल :
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा :
श्री शंकर लालवानी :
श्री तापिर गाव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कर छूट देने हेतु हाल में किए गए संशोधन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह संशोधन किन कारणों से किया गया है और इसके द्वारा सरकार के कराधान वर्ग पर किस तरह से प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) निर्धारण वर्ष 2024-25 से एक निर्धारिती, जो भारत में एक व्यक्तिगत निवासी है, जिसकी आय आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 115खकग की उप-धारा (1क) के तहत कर योग्य है, 7 लाख रुपये तक की कुल आय पर देय आयकर की राशि पर 100% की छूट का हकदार होगा। यह अधिनियम की धारा 87क के अनुसार है।

इस संशोधन से पहले, यह सीमा 5 लाख रुपए थी।

(ख) अधिनियम की धारा 115खकग ने व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार करदाताओं को कुछ शर्तों के अधीन कम दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करने के लिए निर्धारण वर्ष 2021-22 से एक नई कर व्यवस्था लागू की है, जिसमें यह भी शामिल है कि वे विनिर्दिष्ट कर छूट या कटौती का लाभ नहीं उठाते हैं। यह छूट और प्रोत्साहनों को हटाकर तथा साथ ही करों की दरों को कम करके प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने की सरकार की घोषित नीति के अनुरूप है। तदनुसार, उपलब्ध छूटों और प्रोत्साहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए कर दरों को धीरे-धीरे कम किया गया है।

उल्लिखित नीति के अनुरूप, नई व्यवस्था में जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2023 ने दरों को कम कर दिया है और 7 लाख रुपये तक की आय के लिए 100% छूट प्रदान की है, साथ ही नई व्यवस्था को कतिपय श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया है।

जहां तक सरकार की कर धाराओं का संबंध है, प्रत्यक्ष कर संग्रह (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 31.01.2024 तक) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में व्यक्तिगत आयकर 27.6% की दर से बढ़ा है। दरों में कटौती के साथ-साथ किए गए अन्य उपायों के परिणामस्वरूप अनुपालन में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप कर संग्रह में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

******